3

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू मुकदमा नम्बर :100 / 2015 उनवान श्रीमती ओरमता बनाम मु. पतासी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
30.05.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को बार–बार रूक–रूक कर आवाज लगवाई गई। अन्तिम आवाज साय 05.45 बजे लगवाई गई, परन्तु इनमे से कोई भी उपस्थित नही आया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पाया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2016 के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांवद किया जाकर वकील प्रार्थी को ऑर्डर 39 आर. 3 सी.पी. सी. की पालना हेतु निर्देशित किया गया। परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 03.02.2016 की पालना नही की ना ही अप्रार्थीगण की तलबी पेश की गई है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र अदम हाजरी अदम तकमील मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो। (अलका बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राजस्थान)	

Scanned by CamScanner